राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार, पटना
वाद संख्या–26 / 2022
सीता देवी एवं अन्य बनाम् अनिता सिंह एवं अन्य।

यह वाद श्रीमती सीता देवी, पति–श्री भगवान जी प्रसाद गुप्ता, ग्राम–भेड़ीहारी, वार्ड संख्या–02, पोस्ट–सिंगासनी, थाना–रामगढ़वा, जिला–पूर्वी चम्पारण(मोतिहारी) द्वारा श्रीमती अनिता सिंह, पति–राजीव कुमार सिंह, ग्राम+पोस्ट–सिंगासनी, थाना–रामगढ़वा, जिला–पूर्वी चम्पारण(मोतिहारी)(वर्तमान मुखिया, ग्राम पंचायत सिंगासनी, प्रखण्ड– रामगढ़वा, जिला–पूर्वी चम्पारण(मोतिहारी) के विरुद्ध वाद दायर किया गया है, जिसमें वादी का दावा है कि वर्तमान मुखिया अनिता सिंह, पति–रंजीत कुमार सिंह द्वारा अनिता सिंह, पति–राजीव कुमार सिंह को Impersonate किया गया है, चूँकि अनिता सिंह, पति–राजीव कुमार सिंह, आँगनबाड़ी सेविका के पद पर कार्यरत हैं, अतः बिहार पंचायत राज अधिनियम–2006 की धारा–136(1)(घ) तथा धारा–135 के प्रावधनों के तहत मुखिया पद धारण करने के योग्य नहीं है। अतः प्रतिवादी के पदमुक्त करने हेतु यह वाद दायर किया गया है।

2. वाद की सुनवाई में वादी श्रीमती सीता देवी एवं अन्य का पक्ष उनके विद्वान अधिवक्ता श्री अवनीश कुमार एवं श्री एस0बी0के0 मंगलम द्वारा आयोग के समक्ष रखा गया, जबकि प्रतिवादी श्रीमती अनिता सिंह की ओर से उनका पक्ष विद्वान अधिवक्ता श्री अंशुल द्वारा रखा गया। सुनवाई के क्रम में जिला निर्वाचन पदाधिकारी(पंचायत)–सह–जिला पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण (मोतिहारी) द्वारा अभिलेखों के सत्यापन को उपलब्ध कराने एवं जिला प्रशासन का पक्ष रखने हेतु श्री शादिक अख्तर एवं श्री राम जनम पासवान, जिला पंचायत राज पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण (मोतिहारी) को प्राधिकृत किया गया।

3. वादी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा आयोग को बताया गया कि प्रतिवादी अनिता सिंह, पति–रंजीत सिंह द्वारा अनिता सिंह, पति–राजीव कुमार सिंह को Impersonate किया गया है। आगे उनके द्वारा आयोग को बताया गया कि अनिता सिंह, पति–राजीव कुमार का नाम मतदाता–सूची में नहीं था। अतः उनके द्वारा अनिता सिंह, पति–रंजीत सिंह, जिनका नाम मतदाता–सूची में अंकित था, के नाम का उपयोग करते हुये, मतदान की प्रक्रिया में भाग लिया गया तथा मुखिया पद के निर्वाचन में विजय प्राप्त की गयी। आगे उनके द्वारा यह भी दावा किया गया कि अनिता सिंह, पति–राजीव कुमार सिंह की नियुक्ति वर्ष–2004 में आँगनबाड़ी सेविका के रूप में हुयी थी तथा उनके द्वारा सिंगासनी ग्राम पंचायत के आँगनबाड़ी केन्द्र संख्या–91 में कार्यरत रहते हुये, नामांकन–पत्र दाखिल किया गया, जोहिं मुखिया पद पर इनके द्वारा विजय प्राप्त की गयी, त्योहिं दिनांक–18.12.2021 को आँगनबाड़ी सेविका के पद से त्याग–पत्र दे दिया गया। अपने दावें के समर्थन में उनके द्वारा श्रीमती अनिता सिंह के त्याग–पत्र की छायाप्रति का अवलोकन आयोग को कराया गया। अंत में उनके द्वारा

प्रतिवादी के पंचायत राज अधिनियम–2006 के सुसंगत धाराओं के अधीन पदमुक्त करने का अनुरोध किया गया।

4. प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता श्री अंशुल द्वारा आयोग को बताया गया कि वादी के द्वारा जिस अनिता सिंह, पति–श्री राजीव सिंह के मुखिया होने का दावा किया जा रहा है, वो वास्तव में वादी के पति श्री भगवानजी प्रसाद के मुखिया रहते हुए, सेविका पद पर चयनित हुई हैं। इनके चयन में इनके मुवक्किल के प्रमाण–पत्रों का दुरूपयोग किया गया है, जिसकी जानकारी उन्हें विचाराधीन वाद के दायर होने के पश्चात् ही हुई। वास्तव में अनिता सिंह के पति श्री राजीव सिंह भूतपूर्व मुखिया भागवानजी प्रसाद के मातहत संभवतः चालक हैं।

5. आयोग द्वारा सभी विद्वान अधिवक्ताओं के सहमति से दोनों अनिता सिंह को अपने पहचान–पत्र(आधार कार्ड) के साथ अगली सुनवाई को उपस्थित होने का आदेश दिया गया, जिसके आलोक में दिनांक–17.08.2023 को श्रीमती अनिता सिंह, पति–श्री रंजीत सिंह (वर्तमान मुखिया एवं मुख्य प्रतिवादी) तथा श्रीमती अनिता सिंह, पति– श्री राजीव सिंह (भूतपूर्व आँगनबाड़ी सेविका) आयोग के समक्ष उपस्थित हुई तथा उन दोनों के द्वारा वादी एवं प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ताओं के समक्ष अपना–अपना, अलग–अलग सादे पन्ने पर भिन्न–भिन्न दिशाओं में अपना मुख रखते हुए, हस्ताक्षर अंकित किया गया, जिसपर सभी पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रतिहस्ताक्षर किया गया।

दोनों अनिता सिंह के भौतिक उपस्थिति के कारण यह संदेह समाप्त हो गया कि भौतिक रूप से एक ही अनिता सिंह हैं।

6. **जिला पदाधिकारी–सह–जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत)**, पूर्वी चम्पारण (मोतिहारी) के पत्रांक–355, दिनांक–30.05.2022, पत्रांक–505, दिनांक–11.07.2022,पत्रांक–57, दिनांक–22.02.2023, पत्रांक–287, दिनांक–17.07.2023, पत्रांक–396, दिनांक–12.09.2023 एवं पत्रांक–462, दिनांक–12.11.2024 द्वारा जाँच–सह–सत्यापन प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया। उपलब्ध कराए गए, जाँच प्रतिवेदन के समीक्षोपरांत निम्नलिखित तथ्य प्रमाण सहित प्राप्त हुयेः–

(क) **"अनिता सिंह, पति–रंजीत सिंह एवं अनिता सिंह, पति–राजीव सिंह दो अलग–अलग व्यक्ति हैं। दोनों का आधार कार्ड अलग–अलग बना है, जिसपर Unique Identification Number भी अलग–अलग है। अनिता सिंह, पति–राजीव कुमार का आधार संख्या–5412 5134 8577 है, जबकि अनिता सिंह, पति–रंजीत सिंह का आधार संख्या–2155 1005 2999 है।**

(ख) मुखिया के रूप में अनिता सिंह, पति–रंजीत सिंह का निर्वाचन हुआ है।

(ग) दोनों अनिता सिंह का नाम मतदाता–सूची में अंकित है। मुखिया के रूप में निर्वाचित अनिता सिंह, पति–रंजीत सिंह का नाम उक्त ग्राम पंचायत के मतदाता–सूची के क्रमांक–392 पर अंकित है।

(घ) अनिता सिंह, पति–राजीव कुमार सिंह के द्वारा निर्वाचित मुखिया अनिता सिंह, पति–रंजीत सिंह के प्रमाण–पत्रों का उपयोग कर आँगनबाड़ी सेविका का पद प्राप्त किया गया था। इस पद से प्राप्त होने वाला मानदेय उनके बैंक खाते में प्राप्त किया गया, जिसका खाता क्रमांक–2304854670 (Central Bank of India, पटनी, रामगढ़वा) है,

(ड.) अवैध नियुक्ति के उजागर होने पर अनिता सिंह, पति–राजीव कुमार सिंह द्वारा वेतन भत्ते में प्राप्त की गयी, सभी राशि को सरकारी खजाने में वापस कर दिया गया। उनके नियुक्ति में संलिप्त तत्कालीन पदाधिकारी एवं कर्मी के विरूद्ध कार्रवाई जिला प्रशासन द्वारा प्रारंभ की गयी है।

7. आयोग द्वारा विद्वान अधिवक्ताओं के द्वारा उपलब्ध कराये गये अभिलेखों/तर्कों तथा जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत)–सह–जिला पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण(मोतिहारी) का प्रतिवेदन का अवलोकन किया गया। उपलब्ध साक्ष्यों/अभिलेखों एवं विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा दिए गए तर्कों के आलोक में आयोग का इस वाद के संबंध में मत निम्नवत है:–

विचारधीन वाद में वादी द्वारा मुख्य रूप से दो आरोप लगाया गया था, जिसमें ग्राम पंचायत सिंगासनी, प्रखण्ड रामगढ़वा पूर्वी चम्पारण(मोतिहारी) श्रीमती अनिता सिंह, पति–श्री रंजीत सिंह एवं श्रीमती अनिता सिंह, पति–राजीव कुमार सिंह एक ही व्यक्ति है तथा वर्तमान मुखिया द्वारा उन्हें Impersonate करते हुये, मतदाता–सूची में नाम नहीं रहने के बावजूद चुनाव में भाग लिया गया तथा विजय प्राप्त की गयी, परन्तु वादी का यह दावा बिल्कुल असत्य पाया गया। श्रीमती अनिता सिंह, पति–श्री रंजीत सिंह एवं श्रीमती अनिता सिंह, पति–राजीव कुमार सिंह दो अलग–अलग व्यक्ति है। यह जिला प्रशासन के प्रतिवेदन से प्रमाणित है, साथ ही साथ स्वयं दोनों विद्वान अधिवक्ताओं की उपस्थिति में दोनों अनिता सिंह आयोग के समक्ष उपस्थित हुयी थी। दोनों का अलग–अलग आधार संख्या एवं आधार कार्ड उपलब्ध है।

वादी का दूसरा दावा भी असत्य पाया गया, जिसमें उनके द्वारा बताया गया कि श्रीमती अनिता सिंह, पति–श्री रंजीत सिंह का नाम मतदाता–सूची में अंकित नहीं है। निर्वाचित मुखिया का नाम संबंधित पंचायत के मतदाता–सूची में क्रमांक–392 पर अंकित है।

जिला पदाधिकारी के प्रतिवेदन से यह भी प्रमाणित है कि निर्वाचित मुखिया अनिता सिंह, पति–राजीव सिंह कभी भी आँगनबाड़ी सेविका के रूप में कार्यरत नहीं रही है।

उक्त वर्णित स्थिति में जबकि वादी का प्रत्येक दावा असत्य पाया गया है, उनके अनुरोध को स्वीकार करना न्यायोचित नहीं है। अतः वादी के अनुरोध को अस्वीकृत किया जाता है।

वादी, प्रतिवादी एवं जिला प्रशासन के प्रतिवेदन से यह स्पष्ट है कि श्रीमती अनिता सिंह, पति राजीव कुमार सिंह के आँगनबाड़ी सेविका के रूप में चयनित होने में वर्तमान मुखिया श्रीमती अनिता सिंह, पति–रंजीत सिंह के शैक्षणिक प्रमाण–पत्रों का प्रयोग किया गया, जिसमें तत्कालीन बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, प्रखण्ड–रामगढ़वा एवं तत्कालीन मुखिया, ग्राम पंचायत सिंगासनी की भूमिका स्पष्ट रूप से नियमानुकूल नहीं पायी गयी है। अतः जिला निर्वाचन पदाधिकरी(पंचायत)–सह–जिला पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण (मोतिहारी) को आदेश दिया जाता है कि तत्समय पदासीन बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, प्रखण्ड–रामगढ़वा तथा मुखिया के विरूद्ध नियमानुसार विधिक/विभागीय कार्रवाई प्रारंभ करने हेतु अलग से स्वतंत्र जाँच प्रारंभ की जाए तथा इनकी संलिप्तता प्रमाणित होने पर कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।

श्रीमती अनिता सिंह, पति–श्री राजीव कुमार सिंह द्वारा श्रीमति अनिता सिंह, पति–रंजीत सिंह के शैक्षणिक प्रमाण–पत्रों का उपयोग कर आँगनबाड़ी सेविका का पद प्राप्त किया गया। वह इस बात को पूर्ण रूप से जानती थी कि वह दूसरे व्यक्ति के शैक्षणिक प्रमाण–पत्र पर पद हासिल कर रही है। इसके बावजूद इतने लंबे समय तक उनके द्वारा मानदेय की राशि प्राप्त की गयी। भले ही उनके द्वारा यह राशि वापस कर दी गयी हो, उनके विरूद्ध धोखाधड़ी एवं षड़यंत्र कर पद हासिल करने का मामला प्रमाणित होता है। अतः जिला निर्वाचन पदाधिकरी(पंचायत)–सह–जिला पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण (मोतिहारी) को जिला दंडाधिकारी के रूप में प्राप्त शक्तियों के अधीन उनसे श्रीमती अनिता सिंह, पति– श्री राजीव कुमार सिंह के विरूद्ध नियमानुसार विधिक कार्रवाई अपेक्षित है।

इस आदेश के साथ इस वाद को निष्पादित किया जाता है।

सभी संबंधित को सूचित कर दिया जाये।

अद्योहस्ताक्षरी द्वारा लेखापित एवं संशोधित।

ह0/–	ह0/–
(डॉ० दीपक प्रसाद)	(डॉ० दीपक प्रसाद)
23.07.2025	23.07.2025
राज्य निर्वाचन आयुक्त, बिहार।	राज्य निर्वाचन आयुक्त, बिहार।

ज्ञापांक–26/2022 3185 पटना, दिनांक– 23.7.25

प्रतिलिपि–जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत)–सह–जिला पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण(मोतिहारी)/जिला पंचायत राज पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण(मोतिहारी) को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। जिला पंचायत राज पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण(मोतिहारी) को आदेश दिया जाता है कि आदेश की प्रति का तामिला वादी एवं प्रतिवादी को 24 घंटे के अन्दर कराते हुए तामिला प्रतिवेदन लौटती डाक/ई–मेल से उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाए।

23/7/25

विशेष कार्य पदाधिकारी

ज्ञापांक–26 / 2022 3185 पटना, दिनांक– 23.7.25

प्रतिलिपि–वादी श्रीमती सीता देवी, पति–श्री भगवान जी प्रसाद गुप्ता, ग्राम–भेड़ीहारी, वार्ड संख्या–02, पोस्ट–सिंगासनी, थाना–रामगढ़वा, जिला–**पूर्वी चम्पारण(मोतिहारी)** तथा श्रीमती अनिता सिंह, पति–राजीव कुमार सिंह, ग्राम+पोस्ट–सिंगासनी, थाना–रामगढ़वा, जिला–**पूर्वी चम्पारण(मोतिहारी)**(वर्तमान मुखिया, ग्राम पंचायत सिंगासनी, प्रखण्ड– रामगढ़वा, जिला–**पूर्वी चम्पारण(मोतिहारी)**को सूचनार्थ प्रेषित।

23/7/25

विशेष कार्य पदाधिकारी

ज्ञापांक–26 / 2022 3185 पटना, दिनांक– 23.7.25

प्रतिलिपि–सुश्री प्रीति कुमारी, सहायक प्रशाखा पदाधिकारी / श्री नीतीश कुमार, आई0टी0मैनेजर, राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार को सूचनार्थ एवं अनुश्रवण तथा अनुवर्ती कार्रवाई हेतु प्रेषित।

23/7/25

विशेष कार्य पदाधिकारी